बिहार के भागलपुर जिले के साहु-पर्वता गांव में तार और टेली-फोन की सुविधायें

463. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर जिले के साहुपर्वता गांव में एक डाकघर है और क्या उस क्षेत्र के निवासी बहुत समय से तार और टेलीफोन की सुविधाओं की मांग कर रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में तार और टेलीफोन की सुविधाएं की व्यावस्था करेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा): (क) भागलपुर जिला (बिहार) के सहुपार्वता गाव में एक विभागेतर शाखा डाकघरमौजुद है। सितम्बर, 1971 में साहुपर्वता के निवासियों ने तार और टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अर्जी दी थीं।

(ख) साहुपर्वता में तार और टेलीफोन सुविधाएं देने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। विभाग की नीति के अनुसार यदि सभव हुआ तो इस बारे में आवश्यक कारंवाई की जायगी।

रतलाम तथा झाबुआ (मध्य प्रदेश) जिलों में उद्योगों का स्थापित किया जाना

464. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम और झाबुआ जिलों मे उद्योगों की स्थापना के संबन्ध में बहुत से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). झाबुआ मे स्थापित उद्योग वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर बिल प्राप्त करने के पात्र होंगे क्योंकि झाबुआ मध्य प्रदेश में इस प्रयोजन के लिए चुने गए पिछड़े जिलो मे से है। किंतु रतलाम पिछड़े जिलो की सूची मे सम्मिलित नही है। यह आशा है कि राज्य के अभिकरण दी गई रियाततो का लाभ उठाएगे और मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलो और रतलाम में भी उद्योग स्थापित करेंगे। इस समय औद्योगिक विकास मंत्रालय के पास रतलाम और झबुआ जिलो मे उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नही है।

Return of Income and Assets of Ministers

465. SHRI BIRENDER SINGH RAO : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether some Central Ministers have failed to submit their returns of income and assets to her regularly; and

(b) the number of such Central Ministers who have failed to submit their return of income and assets to her after their appointment as ministers during the last five years ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). The Union Ministers have mostly been furnishing their statements of assets and liabilities to the Prime Minister regularly, as required under the Code of Conduct for Ministers. Some members of the present Council of Ministers, who have not furnished the required statements for this year have intimated that they would be doing so shortly.

Reviewing of old Rules by Government

466. SHRI MUHAMMED SHERIFF :